सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संजीवनी

भुवन भास्कर

कम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इस स्कीम में सेवा देने वाले कारोबारी शामिल नहीं हो सकते। हालांकि रेस्टोरेंट से संबंधित सेवाएं देने वाले; आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू उद्योग से जुड़े; कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति या प्रवासी टैक्सेबल व्यक्ति; और एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए गुड्स की सप्लाई करने वाले कारोबार इसमें अपवाद हैं। फिलहाल जीएसटी के तहत पंजीकृत 90 लाख में 15 लाख कारोबारों ने कम्पोजिशन स्कीम की सुविधा ली है

स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे व्यापक और गहरे कर सुधार करार दिए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के लागू होने के बाद से ही इसके फायदों और मुश्किलों पर होने वाली चर्चाएं समाचार माध्यमों की सुर्खियों में रही हैं। घड़ी की एक टिक के साथ 70 साल से चली आ रही पूरी टैक्स व्यवस्था को शीर्षासन करा देना, वह भी भारत जैसे विशाल देश में, किसी भी सरकार के लिए एक विशाल चुनौती से कम नहीं था। उसमें भी तब जब इस टैक्स सुधार से प्रभावित होने वालों में 80 प्रतिशत से ज्यादा छोटे और मझोले उद्यम (एसएमई) होने वाले थे।[1] चौथे ऑल इंडिया एमएसएमई सेंसस, 2006-07 के मुताबिक इस सेक्टर के 60 प्रतिशत उद्यम ग्रामीण इलाके में स्थित हैं। जाहिर है कि जीएसटी जैसी प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था को त्वरित गति से अपनाना ऐसे सेक्टर के लिए कोई आसान काम नहीं था।

इन चुनौतियों के बीच 1 जुलाई 2017 को लगभग डेढ़ दशक के इंतजार के बाद जीएसटी लागू हुआ। हालांकि देश के विभिन्न भागों से सरकार को मिल रहा फीड बैक बहुत उत्साहजनक नहीं था। देश के दूर-दराज से छोटे कारोबारियों की मुश्किलों और उसके कारण उनमें असंतोष की खबरें आने लगी थीं। ये मुश्किलें और असंतोष सरकार के लिए दोधारी तलवार की तरह थे, क्योंकि एक ओर देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग में 45 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले[2] एमएसएमई के लिए किसी भी मुश्किल के ज्यादा समय तक बरकरार रहने देने का सीधा मतलब अर्थव्यवस्था में गिरावट को न्यौता देना था, वहीं दूसरी ओर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर में बढ़ता असंतोष राजनीतिक तौर पर भी सरकार के लिए घातक साबित हो सकता था।

स्वाभाविक तौर पर सरकार के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक था और सरकार ने ऐसा ही किया। जीएसटी पर फैसले करने और उसमें संशोधन करने के लिए जिम्मेदार जीएसटी काउंसिल की 6 अक्टूबर 2017 को बुलाई गई 22वीं बैठक में कई फैसले किए, जिनका उद्देश्य पूरी तरह छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को राहत देना और उनकी शिकायतों को दूर करना था। बैठक के फैसलों के बारे बताते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री ने एक पत्रकार वार्ता में कहा, *काउंसिल ने कर आंकड़ों की गहराई से समीक्षा करने के बाद पाया कि कुल टैक्स रेवेन्यू में 94 प्रतिशत हिस्सेदारी बड़े उद्योगों की होती है। ऐसा महसूस किया गया कि छोटे कारोबारियों पर टैक्स का बोझ कम है, लेकिन उन पर कम्प्लायंस का दबाव बहुत ज्यादा है।* और इसी निष्कर्ष को तार्किक परिणति पर पहुंचाते हुए काउंसिल ने जो फैसले किए, उनसे आने वाले दिनों में एमएसएमई को कारोबार में काफी आसानी होने वाली है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है।

कम्पोजिशन स्कीम का विस्तार

काउंसिल ने अपनी बैठक में कम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले कारोबारियों की टर्नओवर सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी। कम्पोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारी बिना त्रिस्तरीय फाइलिंग प्रक्रिया में पड़े औपचारिक जटिलताओं से बचकर 1-5 प्रतिशत का टैक्स जमा कर

लेखक आर्थिक विषय के पत्रकार हैं और सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस और इकोनॉमिक टाइम्स के साथ काम कर चुके हैं। संप्रति कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के साथ कार्यरत हैं और शेयर बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखते रहते हैं। ईमेल: bhaskarbhuwan@gmail.com

सकते हैं। इनमें गुड्स (वस्तुओं) का व्यापार करने वाले कारोबारियों को 1 प्रतिशत, उत्पादन करने वाले कारोबारियों को 2 प्रतिशत और शराब के अलावा अन्य खाने-पीने की वस्तुओं की सप्लाई करने वालों पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगता है।

हालांकि कम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इस स्कीम में सेवा देने वाले कारोबारी शामिल नहीं हो सकते। हालांकि रेस्टोरेंट से संबंधित सेवाएं देने वाले; आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू उद्योग से जुड़े; कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति या प्रवासी टैक्सेबल व्यक्ति; और एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए गुड्स की सप्लाई करने वाले कारोबार इसमें अपवाद हैं। फिलहाल जीएसटी के तहत पंजीकृत 90 लाख में 15 लाख कारोबारों ने कम्पोजिशन स्कीम की सुविधा ली है।

रिटर्न भरने की प्रक्रिया का सरलीकरण

जीएसटी से छोटे कारोबारियों को सबसे बड़ी शिकायत इसमें रिटर्न भरने की बारंबारता थी। जीएसटी के तहत कारोबारियों को हर महीने रिटर्न भरना पड़ रहा था, जो एक बड़ा सिरदर्द था।जीएसटी काउंसिल ने 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब तिमाही रिटर्न भरने की छूट दे दी है। इससे कुल करदाताओं का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा, जिसकी सरकार की कुल कर आय में महज 5-6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, तिमाही रिटर्न भरने के दायरे में आ जाएगा। यह छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जिसके बाद जीएसटी को लेकर शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा यों ही गायब हो जाएगा।

टैक्स रिफंड के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

छोटे और मझोले कारोबारियों, खासतौर पर निर्यातकों पर जीएसटी का काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि पहले जहां उन्हें निर्यात के लिए आयात किए जाने वाले इनपुट पर टैक्स नहीं देना होता था, वहीं अब जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें इसपर इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) देना पड़ रहा है, जिसका बाद में उन्हें रीफंड मिलता है। लेकिन रीफंड में होने वाली देरी से छोटे निर्यातकों के लिए नकदी की समस्या खड़ी होने लगी थी। इन कारणों से कामकाजी पूंजी (ऑपरेटिंग कैपिटल) जुटाना एसएमई के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। काउंसिल ने अपनी 6 अक्टूबर की बैठक में तय किया कि निर्यातकों का जुलाई तक का जीएसटी रिफंड 10 अक्टूबर तक और अगस्त तक का 18 अक्टूबर तक खत्म कर दिया जाए। यह निश्चित तौर पर निर्यातकों के लिए बड़ी राहत होगी।

निर्यातकों के लिए ई-वॉलेट स्कीम

जीएसटी काउंसिल ने खासतौर पर निर्यातकों का रिफंड फंसे होने के कारण उनको हो रही कामकाजी पूंजी की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए ई-वॉलेट स्कीम लॉन्च किया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जीएसटी के तहत टैक्स देने और फिर रिफंड का इंतजार करने में निर्यातकों के करीब 65,000 करोड़ रुपये फंसे थे। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) का दावा है कि ऐसा पहले की कर व्यवस्था में नहीं होता था। काउंसिल की बैठक से हफ्ता भर पहले वित्त मंत्री के साथ बैठक में फियो ने ही ई-वॉलेट स्कीम और मर्चेंट निर्यातकों को जीएसटी से पूरी तरह

उत्पादों पर जीएसटी में बदलाव से सीधे तौर पर उद्योग जगत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कटौती आखिर में उपभोक्ताओं को दी जानी है, लेकिन कारोबार में तेजी लाने के लिहाज से यह भी एमएसएमई के लिए सकारात्मक प्रभाव वाला फैसला माना जा सकता है।

छूट देने का प्रस्ताव किया था। काउंसिल ने फियो की सलाह मानते हुए अप्रैल 2018 से ई-वॉलेट लॉन्च करने की घोषणा की, जिसके तहत निर्यातकों को उनके ई-वॉलेट में आभासी अग्रिम भुगतान दिया जाएगा, जिन्हें बाद में उन्हें मिलने वाले टैक्स रीफंड से ऑफसेट किया जा सकेगा।

कई उत्पादों की दरों में कटौती

जीएसटी काउंसिल ने कई उत्पादों के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया। इन उत्पादों में ज्यादातर ऐसे हैं, जिनका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिना ब्रांड वाली नमकीन, बिना ब्रांड वाली आयुर्वेदिक दवाओं, आम की सूखी पपड़ी (आमपापड़) और खाकरा को 12 प्रतिशत से हटाकर 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में डाल दिया गया, वहीं टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली मानव निर्मित सूत (मैन मेड यार्न) को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में शामिल कर दिया गया। यद्यपि उत्पादों पर जीएसटी में बदलाव से सीधे तौर पर उद्योग जगत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कटौती आखिर में उपभोक्ताओं को दी जानी है, लेकिन कारोबार में तेजी लाने के लिहाज से यह भी एमएसएमई के लिए सकारात्मक प्रभाव वाला फैसला माना जा सकता है।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मार्च तक स्थगित

जीएसटी व्यवस्था में 20 लाख या उससे ज्यादा के सालाना कारोबार वालों के लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है लेकिन 20 लाख से नीचे टर्नओवर वाले किसी कारोबारी ने भी जीएसटीएन न लिया हो, तो उसके साथ कारोबार करने वाले जीएसटीएन धारक कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ऐसे में भले ही सरकार ने 20 लाख से नीचे कारोबार वाले कारोबारी को जीएसटी नेटवर्क में पंजीकरण न कराने की छूट दे दी हो, लेकिन ऐसा करने वाले कारोबारी से जीएसटीएन वाला कोई भी कारोबारी शायद ही कोई लेनदेन करना चाहेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में जीएसटीएन वाले कारोबारी पर कर का अतिरिक्त बोझ आएगा लेकिन अब 6 अक्टूबर को काउंसिल द्वारा किए गए फैसले के मुताबिक *रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म* को अगले साल अप्रैल तक टाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2018 तक बिना जीएसटीएन वाले कारोबारी के साथ कारोबार करने पर भी जीएसटीएन वाले कारोबारी पर कर का अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। जाहिर है कि एमएसएमई के लिहाज से यह एक अहम फैसला है। इसके साथ ही काउंसिल ने स्रोत पर टैक्स काटने और संग्रह करने के प्रावधान को भी 1 अप्रैल 2018 तक के लिए स्थगित कर दिया।

कुल मिलाकर बिना शक यह कहा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक नई टैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद से हुई सबसे महत्वपूर्ण बैठक है और इसके फैसलों ने देश के छोटे और मझोले उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। इससे सरकार ने जीएसटी रिजीम को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में एक अहम पड़ाव को पार कर लिया है और आने वाले हफ्ते और महीने इनके परिणाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। ❑

संदर्भ

1. Great Lakes Herald_ March 2017, Volume 11 Issue No. 1, Page 79
2. 4th All India MSME Census, 206-07